

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग,
(मध्य प्रदेश क्षेत्र)
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय
5वां तल, निवेश भवन, एलआईसी परिसर-II
पंडरी, रायपुर (छ.ग.)-492 004.
दूरभाष-0771-296441/42
ईमेल-ssc.mpr-rpr@gov.in

पुराने रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु सूचना

कर्मचारी चयन आयोग (मध्य प्रदेश क्षेत्र), रायपुर के पुराने रिकॉर्ड (कमीशन कॉपी, कागज, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक अन्य सामग्री इत्यादि) विक्रय हेतु "जैसा है जहा है" के आधार पर प्रतिष्ठित डीलरों/ फर्मों से रेट कोटेशन हेतु सूचना जारी की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगी:-

- 1- इच्छुक वेंडर अपनी सहमति पत्र के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में "पुराने रिकॉर्ड के निपटान हेतु रेट कोटेशन" लिखकर इस कार्यालय में **दिनांक- 26.09.2026 सायंकल(0500) बजे** तक जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- 2- वेंडर द्वारा सामग्री को उठाने से पहले लिखित में वचन देना होगा कि इस कार्यालय से उठाये गए सामान (कागज एवं अन्य सामग्री) को सख्ती से स्क्रेप (कतरन)/ नष्ट किया जायेगा और उस सामग्री को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। डीलरों/ फर्मों को यह भी बताना होगा कि किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम देंगे। साथ ही सम्बंधित वेंडर का रजिस्ट्रेशन रायपुर शहर में होना चाहिये। आगे यह भी कि वेंडर द्वारा स्क्रेपिंग का कार्य स्थल एवं स्क्रेपिंग की प्रक्रिया भी दिखानी होगी।
- 3- वेंडर कि अपनी स्थायी दुकान (स्वयं या किराये पर) होनी चाहिये, यदि किराये पर हो तो वर्तमान वर्ष में वैध किरायानामा कि प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 4- वेंडर का अपने दुकान का रायपुर नगर निगम का गुमास्ता लाइसेंस एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण- पत्र होना चाहिये जिसके प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 5- वेंडर द्वारा पहचान पत्र एवं पैनकार्ड कि प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 6- वेंडर को 5000/- की अमानती राशी का बैंक ड्राफ्ट/ चेक Deputy Director, SSC, Raipur के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना होगा। जिस वेंडर को टेंडर प्राप्त होगा उसकी अमानती राशी अंतिम भुगतान में समायोजित कर दी जाएगी। शेष आवेदकों की अमानती राशी का बैंक ड्राफ्ट/ चेक वापस कर दिया जायेगा।
- 7- वेंडरों द्वारा दिए गए रेट कोटेशन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की छानबीन करने के पश्चात योग्य/ H1 पाए जाने वाले वेंडर को सूचित किया जायेगा।
- 8- वेंडर को पुराने रिकॉर्ड एवं अन्य सामग्री उठाने के लिए कार्यालय में आते वक्त अपनी स्वयं कि वजन मशीन लानी होगी एवं कार्यालय में ही समस्त सामग्री को तोलना होगा। कार्यालय के बाहर वजन करने के लिए सामग्री ले जाने कि अनुमति नहीं होगी।
- 9- क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य प्रदेश क्षेत्र) के पास बिना कोई कारण दर्शाए एक या सभी वेंडर को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अन्य नियम एवं शर्तें हेतु इस कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

नियम एवं शर्त

- 1- फर्म को जीएसटी/ एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण होना चाहिये।
- 2- निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3- यह कार्यालय विक्रय किये जाने वाले पुराने रिकॉर्ड के टुकड़े- टुकड़े करने और उसके परिवहन का खर्च वहन नहीं करेगा।
- 4- इच्छुक वेंडर किसी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में आकार सामग्री को देख सकते हे।
- 5- इस कार्यालय परिसर से सामग्री उठाने का कार्य अगले दो कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिये।
- 6- सामग्रियों को कार्यालय से उठाने में देरी के कारण 500/- प्रति दिन का जुर्माना लगाया जायेगा। एक सप्ताह में सामग्री नहीं उठाने की स्थिति में टेंडर रद्द कर दिया जायेगा एवं अमानती राशी जब्त कर ली जाएगी।
- 7- कोटेशन निर्धारित प्रारूप “अनुलग्नक-क” के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

पुराने रिकॉर्ड के निस्तारण हेतु कोटेशन

फर्म का नाम एवं पता	विवरण (पुराना रिकॉर्ड)	दर प्रति किलोग्राम
	कमीशन कॉपी, कागज	
	लकड़ी	
	लोहा	
	प्लास्टिक	
	अन्य सामग्री इत्यादि	
संपर्क मोबाइल/ दूरभाष नंबर		
ई-मेल(यदि हो तो)		
जीएसटी/ एसजीएसटी पंजीकरण संख्या		

घोषणा

मैं.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
ऊपर उल्लिखित फर्म का मालिक/ साझेदार एवं
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मैं सक्षम हू, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने हेतु।

2. ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं एतद्वारा वचन देता हू कि किसी भी गलत जानकारी को प्रस्तुत करने पर उचित कानून के तहत मुकदमा चलाने के अलावा किसी भी स्तर पर मेरे कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

3- मैं यह भी वचन देता हू कि पुराने रिकॉर्ड/ दस्तावेजों को कर्मचारी चयन आयोग(मध्य प्रदेश क्षेत्र), 5वा तल, निवेश भवन, चरण-II, एलआईसी बिल्डिंग, पंडरी, रायपुर(छ.ग)-492004, के परिसर से मेरे जोखिम एवं खर्च पर ले जाया जाएगा और पलपिंग के लिए भेजा जाएगा।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
 पूरा नाम:

स्थान :
 दिनांक: